



जनपद हमीरपुर

थाना- चिकासी

दिनांक 30.05.2026

थाना चिकासी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 56/2026 धारा- 109/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित हिस्ट्रीशीटर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2026 को हरिश्चन्द्र पुत्र महेश्वरी निवासी ग्राम अतरा, थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर की तहरीर के आधार पर थाना चिकासी पर मु0अ0सं0-56/2026 धारा 109/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। वादी के अनुसार उसके भतीजे कपिल कुमार पुत्र सतीश चन्द्र को जान से मारने की नीयत से आरोपी विजयपाल उर्फ कल्लू पुत्र देवपाल निवासी ग्राम अतरा, थाना चिकासी द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा तमंचे से फायर किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 30.05.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त विजयपाल उर्फ कल्लू पुत्र देवपाल को एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त थाना चिकासी का हिस्ट्रीशीटर भी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त विजयपाल उर्फ कल्लू पुत्र देवपाल निवासी ग्राम अतरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

आपराधिक इतिहास

- 1-अ0सं0 409/06 धारा 392/412 IPC थाना जरिया
- 2-अ0सं0 824/11 धारा 325/323/504 IPC
- 3-अ0सं0 828/11 धारा 110 जी सीआरपीसी
- 4- अ0स0 56/26 धारा 109/352/351(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट।

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम अतरा थाना चिकासी हमीरपुर।

पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 सन्तप्रसाद
- 2- का0 गिरेन्द्र सिंह
- 3- का0 छोटेलाला
- 4- का0 शिवकुमार

